



कार्यालय उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।

ई-मेल : sbbuttarakhand@gmail.com

वेबसाइट : www.sbb.uk.gov.in

पत्रांक | ४४/जै०वि०बो०-३३-२

108/II, वसन्त विहार, देहरादून-248006

उत्तराखण्ड, (टेलीफैक्स - 0135-2769886)

दिनांक 22 अगस्त, 2016

कार्यालय आदेश

जैव विविधता अधिनियम-2002 की धारा-41(1) में प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक जैव प्रबन्ध समिति (Biodiversity Management Committee) के गठन का प्राविधान है। जैव विविधता नियम-2004 के उप-नियम 22(6) में जैव विविधता समिति का मुख्य कार्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से लोक जैव विविधता पंजिका (People's Biodiversity Register) तैयार करना तथा उप-नियम 22(9) में राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा विभिन्न जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिये मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाना है। जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा निरूपित लोक जैव विविधता पंजिका (People's Biodiversity Register) के परीक्षण, मूल्यांकन एवं उसमें अपेक्षित सुधार एवं सुझाव हेतु राज्य स्तर पर विभिन्न विषयों से संबंधित तकनीकी सहायता समूह गठित किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु Wild Faunal Diversity विषय के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त करने हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) का गठन इस कार्यालय के आदेश संख्या: 393/जै०वि०बो०/33-2 दिनांक 26.12.2013 द्वारा किया गया था जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये पुनः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

- (1) श्री धनंजय मोहन,
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड, देहरादून। — अध्यक्ष
- (2) डा० आर०ए० पोखरियाल,
वैज्ञानिक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून। — सदस्य
- (3) डा० आर०एस० भण्डारी,
सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, कीट विज्ञान, एफ०आर०आई०, देहरादून। — सदस्य
- (4) श्री संजय साँधी,
तिल्ली ट्रस्ट, देहरादून। — सदस्य
- (5) डा० अर्चना बहुगुणा,
वैज्ञानिक-डी/प्रभारी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून। — सदस्य
- (6) डा० एस०ए० हुसैन,
वैज्ञानिक-जी०, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून। — सदस्य
- (7) डा० अभिषेक सिंह,
EFFECT संस्था, बसन्त विहार, देहरादून। — सदस्य

22/08/16
(एस०एस० रसाईली)
सदस्य-सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।